(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

दिनाक 31 अक्टूबर 2016

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 एवं दिनांक 14.07.2016 के अनुक्रम में "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से गृह पत्रिकाओं के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

पत्रिकाओं से संबंधित

(क) I. पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता - 20 अंक

II. सरकारी कामकाज में उपयोगिता - 30 अंक

III. भाषा, शैली एवं प्रस्तुतीकरण - 20 अंक

IV. विन्यास, साज सज्जा कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण स्तर - 20 अंक

V. आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात - 10 अंक

VI. छपे लेखों की मौलिकता - 30 अंक

2. गृह-पत्रिकाओं के पुरस्कार चयन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय कुल पांच सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

3. गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए सभी कार्यालयों से पत्रिकाओं की कुल पांच प्रतियां मंगाई जाएंगी।

लेखों से संबंधित

(ख) उत्कृष्ट लेखों के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

I. विषय की सरकारी कामकाज में उपयोगिता - 20 अंक

II. भाषा की सरलता एवं स्पष्टता - 20 अंक

III. विषय विचारों के प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता - 15 अंक

IV. समसामयिक विषय - 20 अंक

V. विचारों की मौलिकता - 25 अंक

4. उत्कृष्ट लेखों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय पांच सदस्य होंगे, जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

5. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिवों को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र को मंच पर देने के बजाय अलग से दिए जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली । अक्टूबर
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।
17. निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार